

126 22 सार्वजनिक खरीद पर समिति की रिपोर्ट पर विचार करना

उपर्युक्त के संदर्भ में पैरा 1 की लाइन संख्या 4 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी किया जाता है। इस पैरा को अब निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर व्यय विभाग के दिनांक 30.11.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/1/2011-पीपीसी के जरिए जारी किए गए अनुदेशों का संदर्भ देने और इस बात का उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि ये अनुदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे

(डीपीई का.ज्ञा. सं. डीपीई/3 (3)/2010-वित्त, नई दिल्ली, दिनांक : 07.02.2012)

\*\*\*\*\*